न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 26 / 2020 (Bank Case)

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड पाण्डुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400025 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. सन्नी भागरिया पुत्र प्रवीण भागरिया (ऋणी)
   पता– 419–ए, राम भवन इन्द्रपूरा तलवंडी योजना कोटा 324005
2. श्री निशा भागरिया पत्नी सन्नी भागरिया (सहऋणी)
   पता– 419–ए, राम भवन इन्द्रपूरा तलवंडी योजना कोटा 324005
3. श्रीमती वीना रानी उर्फ बीना रानी पत्नी प्रवीण भागरिया
   पता– 419–ए, राम भवन इन्द्रपूरा तलवंडी योजना कोटा 324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री सौरभ सुमन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 19.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड पाण्डुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400025 में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 25.10.2018 को रूपये 1,00,00,000/–(अक्षरेः रूपये एक करोड मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति 419–ए, राम भवन इन्द्रपुरा तलवंडी योजना (क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं पूर्व में मकान नं0 383 ए, पश्चिम में रास्ता, दक्षिण में मकान नं0 418ए हैं, जोकि श्रीमती बीनारानी पत्नी श्री प्रवीण कुमार को द्वारा उपहार पत्र प्राप्त हुआ, जो कार्यालय उप पंजीयक कोटा में रसीद नं0 2016005592 दिनांक 29.08.2016 द्वारा पंजीकृत हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.09.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 98,97,461/– (अक्षरे रूपये इन्ठियानवें लाख सिन्तयानवें हजार चार सौ इकसठ मात्र) बकाया रकम दिनांक 06.11.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को

Scanned by CamScanner

दिनांक 11.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 11.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति 419–ए, राम भवन इन्द्रपुरा तलवंडी योजना (क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट) जिसकी चतुर्थ सीमाऐं पूर्व में मकान नं0 383 ए, पश्चिम में रास्ता, दक्षिण में मकान नं0 418ए हैं, जोकि श्रीमती बीनारानी पत्नी श्री प्रवीण कुमार को द्वारा उपहार पत्र प्राप्त हुआ, जो कार्यालय उप पंजीयक कोटा में रसीद नं0 2016005592 दिनांक 29.08.2016 द्वारा पंजीकृत हैं,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज 19.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner